संख्या-40/2018/1185/दो-2-2018-28/2(16)/2018

प्रेषक,

धनन्जय शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

नियुक्ति अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 05 अप्रैल, 2018**

विषय:- श्री धर्मपाल सिंह, पी0सी0एस0-2009 के पेंशन, राशिकरण, उपादान प्रपत्रों का प्रेषण।

महोदय,

श्री धर्मपाल सिंह, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-03-2018 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त पेंशन, राशिकरण प्रपत्रों की दो प्रतियॉ संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री धर्मपाल सिंह के पक्ष में कोई देयता अवशेष नहीं है। अत: इनका पेंशन, राशिकरण, उपादान प्राधिकार पत्र निर्गत करते हुए उसकी सूचना शासन को यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख करना है कि जिलाधिकारी, औरैया द्वारा अपने पत्र दिनांक 01.02.2018 एवं श्री धर्मपाल सिंह, से0नि0 पी0सी0एस0 के पत्र दिनांक 31.01.2018 (प्र0स0) द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि श्री सिह पेंशन, राशिकरण का 40 प्रतिशत राशिकरण नहीं करना चाहते हैं। क़पया श्री धर्मपाल सिंह द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त् ।

भवदीय,

(धनन्जय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

[redacted] **दिनांक यथोक्त।**

प्रतिलिपि श्री धर्मपाल सिंह, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-142, सुलभ पुरम, बोदल सिकन्दरा रोड, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-40/2018/1187/दो-2-2018-28/2(16)/2018
लखनऊ: दिनांक: 05 अप्रैल, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री धर्मपाल सिंह, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-03-2018 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को वित्त सामान्य अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-393/दस-99-2000-88 दिनांक 01-07-99 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति, जो 300 दिन से अधिक न हो, प्रदान की जाती है।

धनन्जय शुक्ल
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- संयुक्त सचिव, इरला चेक (वेतन पर्ची अनुभाग),उत्तर प्रदेश शासन।
2- श्री धर्मपाल सिंह, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-142, सुलभ पुरम, बोदल सिकन्दरा रोड, आगरा।

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-40/2018/1186 /दो-2-2018-28/2(16)/2018
लखनऊ: दिनांक: 05 अप्रैल, 2018

संयुक्त सचिव,
इरला चेक (वेतन पची प्रकोष्ठ),
उ0प्र0 शासन।

श्री धर्मपाल सिंह, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-03-2018 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त जी0आई0एस0 प्रपत्रों की तीन प्रतियाँ मूलरूप में संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अग्रेतर कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से नियुक्ति अनुभाग-2 को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

(धनन्जय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि श्री धर्मपाल सिंह, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-142, सुलभ पुरम, बोदल सिकन्दरा रोड, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-40/2018/1188/दो-2-2018-28/2(16)/2018
लखनऊ: दिनांक: 05 अप्रैल, 2018

आदेश

श्री धर्मपाल सिंह, पी0सी0एस0-2009 ने अपने भविष्य निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-75567 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री धर्मपाल सिह, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-21/मिलान डायरी-426/104765/113819 दिनांक 15-02-2018 के अनुसार वर्ष 2016-2017 तक कुल जमा धनराशि रू0-15,30,696/- (रू0-पन्द्रह लाख तीस हजार छः सौ छियानबे मात्र) की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-13,77,626.04/- अर्थात रू0-13,77,626.00(रूपये तेरह लाख सतहत्तर हजार छः सौ छब्बीस मात्र), के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे है।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री धर्मपाल सिंह के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

धनन्जय शुक्ल
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, औरैया को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री धर्मपाल सिंह, पी0सी0एस0-2009, तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), औरैया सम्प्रति सेवानिवृत्त के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, औरैया।
4- श्री धर्मपाल सिंह, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-142, सुलभ पुरम, बोदल सिकन्दरा रोड, आगरा ।

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।